

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 1973/माघ 5, 1894
No. 19] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 1973/MAGHA 5, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

RESOLUTION

New Delhi, the 18th January 1973

No. 3(5)/71-P&P.—The following changes may be made in the Schedule annexed to this Ministry's Resolution No. 3(5)/71-P&P, dated the 27th June, 1972, relating to the constitution of the Board of Trade:—

Under Item III—Representatives of Commercial and Industrial Organisations—*Ex-officio*, the following amendments may be made:—

- (a) Vice-President, National Alliance of Young Entrepreneurs—Shri L. N. Jhunjhunwala, may be added at the end.
- (b) The existing entry, namely, "Chairman, Engineering Export Promotion Council"—Shri Raunaq Singh" may be deleted.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman, Deputy Chairman, Members of the Board of Trade, the Private and Military Secretaries to the President, the Prime Minister's Secretariat, the Planning Commission, all Ministries of the Government of India and Parliament Library.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. S. NARANG, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1973

सं० 3(5)/71-पी एण्ड पी.—व्यापार बोर्ड के गठन से सम्बन्धित इस मंत्रालय के संकल्प सं० 3(5)/71-पी एण्ड पी दिनांक 27 जून, 1972 से उपाबद्ध सारणी में निम्नोक्त परिवर्तन किए जाएं :—

मद 3 के अन्तर्गत—बाणिज्यिक तथा औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि—पदेन, निम्नोक्त संशोधन किए जाएं :—

- (क) उपाध्यक्ष, नेशनल एलाइंस आफ ग्रंग एन्ट्रप्रेन्योर्स—श्री एल० एन० शुनझुनवाला, अन्त में जोड़ा जाए ।
- (ख) विद्यमान प्रविष्टि, अर्थात्, “अध्यक्ष, इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद—श्री रोनक सिंह” निकाल दी जाए ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिवों, प्रधान मंत्री सचिवालय तथा योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा संसद पुस्तकालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

के० एस० नारंग, संयुक्त सचिव ।